

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-1093 / 2025

योगेन्द्र कुमार

—अपीलार्थी

बनाम

- अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शासन सचिवालय, जयपुर।
- निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासनिक) एवं पंचायत राज (चिकित्सा) विभाग, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.01.2025

आदेश की दिनांक : 17.02.2025

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से :

समक्ष :- चेतन राम देवडा, सदस्य

लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

- मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग अधिकारी के पद पर कार्यालय, उप जिला चिकित्सालय, वैर, भरतपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से एस.पी. मेडिकल कॉलेज, बीकानेर में 550 कि.मी. दूर किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण नियम-2011 के नियम 8 (iii) का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता आगे कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण बेक डेट में प्रतिबंध अवधि के दौरान किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत राज विभाग से अनुमति लिए बिना ही जिले से बाहर कर दिया गया है, जो अनुचित एवं विधि-विरुद्ध है। अपीलार्थी के स्थान पर किसी भी कार्मिक को पदस्थापित नहीं किया गया है। वर्तमान में पद रिक्त है। अपीलार्थी के पिता हृदय रोग से पीड़ित है, उनका नियमित उपचार चल रहा है। उनकी देखभाल करने वाला परिवार में अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी

स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को वर्तमान नर्सिंग अधिकारी, उप जिला चिकित्सालय, वैर, भरतपुर में समस्त वेतन-भत्तों सहित निरन्तर कार्य करने दिया जावें।

3. हमने अपीलार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायाहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन इस आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 2 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किये जाने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावें जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।
5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य